प्रेषक,

दुर्गा शक्ति नागपाल,
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा मे,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0 लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक29 सितम्बर, 2022

विषयः- निजी क्षेत्र के डेण्टल कालेजों द्वारा संचालित स्नातक तथा परास्नातक (यू0जी0/पी0जी0) पाठ्यक्रमों का शैक्षणिक सत्र 2022-23 का शुल्क निर्धारित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एम0ई0-3/2022/2229 दिनांक 28.09.2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा निजी क्षेत्र के डेण्टल कालेजों द्वारा संचालित स्नातक तथा परास्नातक (यू0जी0/पी0जी0) पाठ्यक्रमों का शैक्षणिक सत्र 2022-23 का शुल्क निर्धारित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-I/217921/2022 71-4099/34/2021 दिनांक 26.09.2022 द्वारा निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों द्वारा संचालित स्नातक तथा परास्नातक (यू0जी0/पी0जी0) पाठ्यक्रमों का शैक्षणिक सत्र 2021-22 हेतु निर्धारित शुल्क ही शैक्षणिक सत्र 2022-23 हेतु यथावत लागू किया जायेगा, का निर्णय लिया गया है।

3- अत: इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-I/217921/2022 71-4099/34/2021 दिनांक 26.09.2022 की व्यवस्था निजी क्षेत्र के डेण्टल कालेजों द्वारा संचालित स्नातक तथा परास्नातक (यू0जी0/पी0जी0) पाठ्यक्रमों में भी प्रभावी होगी।

4- कृपया उपर्युक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Signed by दुर्गा शक्ति नागपाल
Date: 29-09-2022 15:11:10
Reason: Approved

(दुर्गा शक्ति नागपाल)
विशेष सचिव

संख्या एवं तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग/समाज कल्याण/पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. सचिव, नेशल मेडिकल कमीशन, नई दिल्ली।
3. निजी सचिव, मा0 चिकित्सा शिक्षा मंत्री, उ0प्र0 शासन।
4. निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. सचिव, प्रवेश एवं फीस नियमन समिति, बॉसमण्डी चौराहा, लखनऊ
6. प्रबंधक/प्रधानाचार्य, संबंधित मेडिकल कालेज द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्ष्ज्ञा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव